

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
स०-८ डी(बजट-आवंटन 2251)-13-10/2016-279

प्रेषक,

संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,
-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार पटना।

पटना, दिनांक-12/01/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक के माध्यम मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवायें -090 सचिवालय -0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग अंतर्गत के संधारणार्थ कुल ₹55.00 लाख (पचपन लाख रु०) मात्र राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक के माध्यम मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवायें -090 सचिवालय -0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग विपत्र कोड-44-2251000900023 के तहत कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, भाड़े की गाड़ी का भुगतान एवं संविदा सेवायें ईकाई मदों में कुल ₹55.00 लाख (पचपन लाख रु०) मात्र के माध्यम से अतिरिक्त राशि का बजट उपबंध प्राप्त हुआ है, जिसे निम्न प्रकार अतिरिक्त राशि आवंटित किया गया है।

क्रमांक	मद का नाम	अतिरिक्त उपबंध
1	0023.1301 कार्यालय व्यय	10,00,000 / -
2	0023.1302 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	2,00,000 / -
3	0023.1310 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	10,00,000 / -
4	0023.2802 संविदा सेवायें	33,00,000 / -
	कुल:-	55,00,000 / -

कुल राशि (पचपन लाख रु०) मात्र

2. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र सं 2561 दि० 17.04.98 एवं 950/वि०, दिनांक-12.12.2025 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

3. आवंटित राशि का व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध के तहत द्वितीय अनुपूरक के आगणन से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में "मुख्य शीर्ष 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-090 सचिवालय(नांग सं० 44)-0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग-1301-कार्यालय व्यय, 1302-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, 1310-भाड़े की गाड़ी का भुगतान एवं 0023.2802-संविदा सेवायें ईकाई विपत्र कोड-44-2251000900023 में विकलनीय होगा।

4- आवंटित राशि के विरुद्ध किये गये व्यय का प्रतिवेदन निकासी एवं व्यय प्राधिकारी द्वारा विगत माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से बजट प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाये।

5- आवंटित राशि का प्रत्यापण प्रतिवेदन दि० 31.03.26 तक निश्चित रूप से बजट प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय।

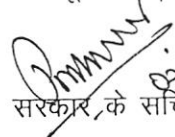
6-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव

✓

झापांक- स0-8 डी(बजट-आबंटन 2251)-13-10/2016-279 पटना, दिनांक 12/01/2026
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना
/अपर सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रधान/सचिव कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण
विभाग/प्रशाखा पदा0 2जी0/6जी0/लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी
प्रति में) सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

allotment-HQ-25-26

W-